न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या — 151/2025

उनवान

1. हयात खान पुत्र इशाक खान जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर।	बनाम	1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 07.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी हयात खान पुत्र इशाक खान जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर की स्वयं के नाम से खातेदारी खेत मौजा तामलियार पटवार मंडल सेतराऊ तहसील रामसर के संयुक्त खतेदारी खेत खसरा संख्या क्रमषः 169, 25 एंव 73 रकबा क्रमशः 0.5989, 3.6664 एंव 4.5972 हेक्टैयर आया हुआ है। जिसमें सयुंक्त खातेदारी में प्राथी का नाम हयात खान पुत्र इशाक खान जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर की जगह हरखु पुत्र ईशाक एंव **हैयात पुत्र ईशाक** जाति मुसलमान भूलवंश संवहन से दर्ज हो गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी ओनलाईन करते समय जगह हरखु पुत्र ईशाक एंव हैयात पुत्र ईशाक जाति मुसलमान दर्ज हो गया । अतः राजस्व रेकर्ड में पुनः सही इद्राजं सही नाम हयात खान पुत्र ईशाक खान जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर करवानें का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत मौजा तामलियार पटवार मंडल सेतराऊ तहसील रामसर के संयुक्त खतेदारी खेत खसरा संख्या क्रमषः 169, 25 एंव 73 रकबा क्रमष 0.5989, 3.6664 एंव 4.5972 हेक्टैयर के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हयात खान पुत्र इशाक खान जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर नाम दुरस्त करनें के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक 07.05.2025

क्रमांक : रीडर/2025/
प्रतिलिपि :—
1.तहसीलदार रामसर।
2.प्रार्थी हयात खान पुत्र इशाक खान।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर